

का.अ. 128(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं० सां० आ० 212 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्रीमती परसनबेन नारनदास रामजी शाह (तलाजावाला) सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्एबल्ड, 51, विद्यानगर, भावनगर-364002, गुजरात द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले अस्थि रोग से विकलांग गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए निशुल्क पोलियो आपरेशन चलाने तथा निशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करने के कार्यक्रम को बढ़ाने की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 3 पर विनिर्दिष्ट किया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं० सां० आ० 557 (अ०) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002-2003 से आरम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं० सां० आ० 867 (अ०) द्वारा (क) 310 लाख रु० की लागत पर निशुल्क पोलियो आपरेशन तथा कृत्रिम सामग्री और उपकरण प्रदान करना; (ख) निशुल्क पोलियो आपरेशन चलाने के बढ़ाए गए कार्यक्रम के प्रति 150.00 लाख रुपए की लागत पर प्रोस्थेटिक तथा ओस्थेटिक तकनीशियनों, सुपरवाइजर्स और अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण तथा 460.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत पर गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी झुग्गी बस्तियों में तथा देश के अन्य भागों में रहने वाले अस्थि रोग से विकलांग गरीब लोगों के पुनर्वास के लिए निशुल्क कृत्रिम अंगों की व्यवस्था करने को समाविष्ट करके परियोजना को संशोधित किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती परसनबेन नारनदास रामजी शाह (तलाजावाला) सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ डिस्एबल्ड, 51, विद्यानगर, भावनगर-364002, गुजरात द्वारा चलाई जा रही (क) 310 लाख रु० की लागत पर निशुल्क पोलियो आपरेशन तथा कृत्रिम सामग्री और उपकरण प्रदान करने (ख) 150.00 लाख रुपए की लागत पर प्रोस्थेटिक एवं ओस्थेटिक, तकनीशियनों, सुपरवाइजर्स तथा अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण की परियोजना या स्कीम को वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।